तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
05.03.2019	**आदेश** पत्रावली पेश हुई। वकील वादीनी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वकील वादीनी को दिनांक 13.11.2017 से लगातार प्रतिवादीगण के नॉटिस एवं तलबाना प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही की गई है एवं न्यायालय का अनावश्यक समय बर्बाद किया गया है। वादीनी ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की रूची नही ली और न ही प्रकरण को निपटाने में न्यायालय का सहयोग किया गया है। इस प्रकार वादीनी ने आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन किया गया है। अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner